

कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

अधिसूचना

क्रमांक ...2222.....

दिनांक 24.11.2019

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 25 सहपठित नियम छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा जिले के जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की स्थिति सर्व साधारण की जानकारी हेतु निम्न लिखित सारणी में दर्शाए अनुसार प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	आरक्षित प्रवर्ग, अ.जा./अ.जा.महिला/अ.ज.जा./अ.ज.जा.महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	सिमगा	अनुसूचित जाति (महिला)
2	बिलाईगढ़	अनुसूचित जनजाति (महिला)
3	बलौदाबाजार	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
4	पलारी	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
5	भाटापारा	अनारक्षित (महिला)
6	कसडोल	अनारक्षित (मुक्त)



Musel
24-11-2019
कलेक्टर

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा